

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला रायपुर (छ.ग.)**

मोतीबाग रोड, घड़ी चौक, रायपुर छ.ग.

(e-mail :- cmho\_raipur@yahoo.co.in)– Ph . No. 0771-2535304,2535315,0771-4271058

क्र./सी.एम.एच.ओ./डी.एम.एफ. सवि.नियु./सत्रह/2021/19126

रायपुर, दिनांक 10.8.2021

**—:विज्ञापन:—**

कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला पंचायत रायपुर के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/210136999237/001 रायपुर दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रायपुर जिले में खनिज न्यास मद से स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु जिला पंचायत रायपुर के प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत नवीन पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्ति हेतु निम्न तालिका में दर्शित पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा आयोजित कर जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार दिनांक 14.08.2021 को पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है, पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है—

आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार

— निर्धारित प्रारूप में संलग्नकों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू /कौशल परीक्षा तिथि को ही उपस्थित होकर जमा किया जाना है।

- पंजीयन हेतु निर्धारित समय — सुबह 09.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक
- पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन — दोप. 01 बजे तक
- दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय — दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक
- दावा आपत्ति का निराकरण — 4.00 बजे से
- वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा — दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् 4.30 बजे अथवा आवेदन संख्या अधिक होने पर आगामी तिथि को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- स्थान: — कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छ.ग.
- वॉक-इन-इंटरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु रिक्तियों का विवरण:—

| स. क्र. | पदनाम                   | कुल पदों की संख्या | श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण |       |        |         | मासिक मानदेय रूपये | अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता   | वॉक-इन-इंटरव्यू तिथि |
|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|--|----------------------|
|         |                         |                    | अना.                          | अपि व | अ. जा. | अ.ज.जा. |                    |  |                      |
| 1       | ऑक्सीजन प्लॉण्ट अभियंता | 4                  | 2                             | 0     | 1      | 1       | 35000.00           | 1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक बी.ई. मैकेनिकल इंजिनियरिंग की परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।<br>ऑक्सीजन प्लॉण्ट में 02 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता। | 14.08.2021           |
| 2       | इलेक्ट्रिशियन           | 4                  | 2                             | 0     | 1      | 1       | 15000.00           | किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आई.टी.आई. अथवा पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।  | 14.08.2021           |

| स. क्र. | पदनाम            | कुल पदों की संख्या | श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण |       |        |         | मासिक मानदेय रूपये | अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता  | वॉक-इन-इंटरव्यू तिथि |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|---|----------------------|
|         |                  |                    | अना.                          | अपि व | अ. जा. | अ.ज.जा. |                    |   |                      |
| 3       | एक्स-रे तकनीशियन | 4                  | 2                             | 0     | 1      | 1       | 15000.00           | किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12 वी वॉयोलॉजी न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण एवं पैरामेडिकल कोर्स एक्स-रे तकनीशियन की परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। एवं छ.ग. मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। | 14.08.2021           |

### भर्ती के संबंध में नियम/शर्तें:-

- विज्ञापन का आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश [www.raipur.gov.in](http://www.raipur.gov.in) में एवं स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियमों के अनुरूप किया जायेगा। संविदा भर्ती के संदर्भ में छ.ग. शासन द्वारा जारी समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संसोधित लागू होंगे।
- आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों के लिए निःशक्त/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 100/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्याथी हेतु 200/- एवं अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 300/- रु. एवं आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह एवं रु. 25000 प्रतिमाह से अधिक वेतनमान वाले पदों के लिए निःशक्त/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 200/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्याथी हेतु 300/- एवं अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400/- रु.। आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के नाम से देय होगा। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। किंतु पृथक-पृथक आवेदन भरना होगा। परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा।
- शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.आई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य हैं।
- 16500/-रूपये एवं 16500/- से कम एकीकृत वेतनमान वाले पदों हेतु जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। जिले के मूल निवासी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।
- 16500/-रूपये से अधिक वेतनमान वाले पदों में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जायेगा।
- आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मूलतः लाना होगा।
- जिला रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन आवश्यक है।
- सभी पदों के लिये आयु 01.01.2021 से 18 वर्ष से कम एवं 64 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए है। शासकीय व अशासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु की छूट की पात्रता होगी।
- जाति के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पास-पोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।
- उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन प्रमाण पत्र स्वयं के


द्वारा सत्यापित छायाप्रतिया अनिवार्यता संलग्न करें। एवं संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।

14. आवेदक आवेदन में संलग्न किये सभी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा के समय अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा व योग्य नहीं होगा।
15. अभ्यर्थी को उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. चयन प्रक्रिया का परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर की सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा।
17. नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 संविदा आधार 31.03.2020 तक पूर्णता अस्थायी एवं अस्थानांतरणीय है।
18. चयन उपरान्त सभी चयनित उम्मीदवारों बांड भरना होगा कि वे अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिये संबंधित अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे।
19. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढ़ाया या निरस्त भी किया जा सकता है।
20. उक्त नियुक्ति का चयन जिला खनिज न्यास मद के अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
21. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे, तथा पृष्ठांकन क्रमांक भी अंकित करें, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1 आवेदन, 2 निवास प्रमाण पत्र, 3 रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 4 जाति प्रमाण, 5 शैक्षणिक योग्यता, 6 अनुभव प्रमाण पत्र एवं 7. अन्य प्रमाण पत्र)
22. अपूर्ण एवं अस्पष्ट ऋट्टि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए की विज्ञापन में दिए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही व पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, अस्पष्ट या ऋट्टिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पर चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
23. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, रायपुर का होगा।
24. आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
25. उपरोक्त पद जिसमें अनिवार्य अनुभव का उल्लेख है, उक्त पद में अनिवार्य अनुभव के अनुभव वर्ष का ही अंक प्रदान किया जावेगा।
26. चयन प्रक्रिया :-  
अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी:-
  1. शैक्षणिक योग्यता - 65 प्रतिशत,
  2. अनुभव अंक - 10/15 अंक (समकक्ष अनुभव)  
(एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिये 03 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये 02 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 10 अंक )
  3. लिखित/कौशल परीक्षा - 20 अंक
27. पदों की शैक्षणिक योग्यतानुसार कौशल परीक्षा ली जायेगी। कौशल परीक्षा विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सम्पादित किया जावेगा। परीक्षा में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 08, एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं निःशक्त उम्मीदवार के उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 06 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण नहीं होने की दशा में लिखित/कौशल परीक्षा में अपात्र माना जावेगा।
28. केवल शासकीय एवं अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक संस्थान/शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। एवं कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगे।

29. प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी, प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षासूची से पदपूर्ति की जा सकेगी।
30. पद के शैक्षणिक योग्यता का 65 प्रतिशत एवं एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक, जोड़कर तदानुसार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी जिसमें से रिक्त पदों के निम्न तालिकानुसार उम्मीदवारों को लिखित/कौशल परीक्षा के लिए स्वीकार किया जावेगा।


| क्र. | कुल विज्ञापित पदों की संख्या | कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या |
|------|------------------------------|---|
| 1    | 1 से 10 पद                   | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना               |
| 2    | 11 से 50 पद                  | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना               |
| 3    | 50 से अधिक                   | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना।              |

31. संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता का 65 प्रतिशत अनुभव का 10/15 अंक, लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक के आधार पर कुल 100 प्रतिशत अंक की गणना कर चयन समिति द्वारा अंतिम सूची तैयार किया जावेगा।
32. शासन के प्रावधानानुसार उपरोक्त नियुक्ति में महिलाओं, निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
33. आवेदक का 02 से अधिक बच्चे (जीवित) और अंतिम बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2002 के बाद हुआ हो तो वे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
34. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
35. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
36. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला रायपुर, छ.ग.

10.8.21

आवेदित कार्यक्रम एवं पद का नाम .....



प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. माता का नाम : .....
4. अ) जन्म तिथि (अंको में) : .....
- ब) आयु 1 जनवरी 2018 की स्थिति में : वर्ष.....माह.....दिन.....
5. जाति (सामान्य/अनु.जाति/जन.जाति/  
अ.पि.व. वर्ग) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
6. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं : .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. निवासी जिले का नाम : .....
8. क्या आप निःशक्तता श्रेणी के हैं हॉ/नहीं : .....
- यदि हॉ-निःशक्तता का प्रतिशत एवं प्रकार : .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. भूतपूर्व सैनिक हॉ/नहीं : .....
10. स्थायी निवास का पता : .....
11. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता : .....
- मोबाईल/दूरभाष नं. ....
- ईमेल आई.डी. ....
12. संबंधित कौंसिल का नाम : .....
- पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : .....
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन : .....
- क्रमांक/दिनांक/स्थान : .....

14. आवेदन शुल्क:- : आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों के लिए निःशक्त/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 100/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थी हेतु 200/- एवं अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 300/- रु. एवं आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह एवं रु. 25000 प्रतिमाह से अधिक वेतनमान वाले पदों के लिए निःशक्त/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 200/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थी हेतु 300/- एवं अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400/- रु.। आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के नाम से देय होगा। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

